न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, देसूरी, जिला पाली, राजस्थान।
पीठासीन अधिकारी– पूना राम गोदारा, आर जे एस
निगरानी याचिका संख्या– 43/2022 (सी.आई.एस.नं. 43/2022)
मनीष बनाम सरकार

दिनांक 29-06-2026

निगरानीकार की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणसिंह जोशी व श्री संजय रामावत उपस्थित।
गैरनिगरानीकार राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पत्रावली में बहस पहले सुनी जा चुकी है। निगरानीकार का इस प्रकरण में केवल यहीं आक्षेप है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट देसूरी द्वारा इस प्रकरण में अभियुक्ता रिंकू पत्नी मनीष के विरुद्ध दिनांक 27–11–2019 को प्रसंज्ञान लिया जाकर समन तलबाना पेश करने पर समन के जरिये तलब करने का आदेश दिया गया था। परिवादी के अधिवक्ता द्वारा समन तलबाना पेश नहीं करने पर दिनांक 10–10–2022 को उक्त प्रकरण अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया था। परिवादी अब समन तलबाना पेश करने का तैयार है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 10–10–2022 खारिज किया जावे।

इसके विपरीत राज्य की ओर से यह तर्क दिया कि परिवादी और परिवादी अधिवक्ता स्वयं की गलती से ही उक्त परिवादी खारिज किया गया था। उक्त आलोच्य आदेश पूर्णतया विधिअनुरूप है। अतः उक्त आदेश पुष्ट किया जावे।

उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में उक्त आलोच्य आदेश की वैध्यता व शुद्धता तथा ओचित्यता इस प्रकरण में प्रश्नगत है। इस न्यायालय के समक्ष मुख्य अवधारणीय बिंदु यह है कि–

"क्या विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट देसूरी का आलौच्य आदेश दिनांक 11–11–2022 अशुद्ध, अवैध व औचित्यहीन है तथा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया है?"

उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पुनरीक्षण न्यायालय को विचारण न्यायालय के प्रसंज्ञान आदेश में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परन्तु पुनरीक्षण न्यायालय निम्न परिस्थितियों में विचारण न्यायालय के प्रसंज्ञान आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है–

1– जहां विचारण न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन ही नहीं किया गया हो।

2– विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर इन तथ्यों को रिकॉर्ड पर लिया गया, जो कि पत्रावली पर मौजूद ही नहीं हैं।

3– विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य में इन बिन्दुओं को नजर–अदाज कर दिया गया, जो कि प्रसंज्ञान आदेश के लिए एक तात्विक साक्ष्य थी और वह प्रकरण के गुणा–गुण पर विपरीत स्थिति स्पष्ट कर सकती थी।

4– तथ्यों पर ऐसा निष्कर्ष, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होते हुए भी इन साक्ष्य पर निर्भर हो जाना या कोई तात्विक साक्ष्य को यह मानते हुए छोड़ देना कि यह साक्ष्य में अग्राह्य है, जबकि वह तात्विक साक्ष्य हो।

5– न्याय की दृष्टि से विचारण न्यायालय के तथ्यों पर निष्कर्ष विधि अनुरूप न हो, अर्थात् विकृत (Perverse) हो।

6– पुनरीक्षण न्यायालय को साक्ष्य को इतनी हद तक ही महत्व (Appreciate) देना है, जिससे कि यह दर्शित होता हो कि विचारण

न्यायालय के द्वारा इन साक्ष्य को महत्व (Appreciate) देते हुए अवैधता की गई है। न्यायालय को यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी आपराधिक प्रकरण में किसी भी अभियुक्त को समन करना एक गंभीर मामला होता है और विचारण न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में समन करने से पहले रिकॉर्ड पर प्रस्तुत साक्ष्य का ध्यानपूर्वक एवं गहनता से अवलोकन करना चाहिए।

7– विचारण न्यायालय के उक्त आदेश में न्यायालय का मस्तिष्क तथ्यों व विधि पर आधारित होना चाहिए।

हस्तगत प्रकरण में पुलिस थाना देसूरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 89/2019 अन्तर्गत धारा 494, 406, 420, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में थानाधिकारी देसूरी द्वारा केवल धारा 494 भादस का अपराध बनना मानकर अंतिम प्रतिवेदन पेश किया था जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपना आदेश दिनांक 27–11–2019 का प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्ता रिंकू को तलब किया गया था। चूंकि उक्त प्रसंज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर लिया गया था इसलिए परिवादीया स्वयं तो न्यायालय में कभी उपस्थित नहीं आयी, ऐसी स्थिति में परिवादिया के उपस्थित नहीं आने पर परिवादिया की ओर से प्रभावी पैरवी उसके अधिवक्ता द्वारा नहीं की गयी। इसलिए उक्त आलोच्य आदेश न्यायहित में अपास्त किये जाने योग्य है। साथ ही प्रार्थी का 5000/– रूपये की कोस्ट अधिरोपित किया जाना भी उचित प्रतीत होता है, क्योंकि उसके द्वारा न्यायिक कार्यवाही में विलम्ब किया गया था। प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि वह 07 दिवस के भीतर लिटिकेन्ट वेलफेयर फंड अकाउंट **(Registrar General LWFA, Rajasthan High Court 41673952674 SBI Branch Jhalamand, Jodhpur)** में पांच हजार रूपये जमा करवाकर रसीद इस न्यायालय में पेश करे। रसीद पेश नहीं करने पर विचारण न्यायालय का आदेश यथावत रहेगा।

परिणामतः यह रिवीजन याचिका उपर्युक्तानुसार स्वीकार की जाती है। पत्रावली मुल्जिम तलब करने हेतु व आगे की विधिक कार्यवाही करने हेतु इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, देसूरी को प्रेषित हो।

इस न्यायालय से पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(पूना राम गोदारा)
अपर सेशन न्यायाधीश, देसूरी, पाली